

①

सहायक श्रम आयुक्त,  
सर्कल-1, गुडगांव।

श्रम आयुक्त हरियाणा,  
पणडीगढ।

Ex No 1/3

क्रमांक: 58

दिनांक:- 12/01/015

मांग पत्र दिनांक 16.9.14 जो कि श्रमिक श्री/श्रीमती

V/s M/s

~~श्रीमती मण्डू कान्हा~~ एन नं 239 फेरा 2 उदगा कान्हा  
पर दिया आई.डी. एक्ट 1947 की धारा 12/4/ के अन्तर्गत असफलता रिपोर्ट।

गुडगांव

उपरोक्त मांग पत्र पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 12/4/ के अन्तर्गत

2 मांग पत्र को तीन प्रतियां अधिकार पत्र ओबजेक्टिव रिव्यू सहित इस पत्र के साथ सलमन करके

भी है।

भवदीय

सहायक श्रम आयुक्त,  
सर्कल - गुडगांव।

क्रमांक-59-60 दिनांक 12/01/015

एक प्रति प्रथम भाग सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु भेजी जा रही है।

श्रीमती मण्डू कान्हा . एन नं 239 फेरा 1 उदगा कान्हा गुडगांव  
श्रीमती कान्हा . एन नं 12/01/015

सहायक श्रम आयुक्त,  
सर्कल - गुडगांव।

दिनांक 16.09.2014 जो कि श्रमिक श्री Sanjeev Kumar ने बनाम M/s Richa & Co, Plot No. Udyog Vihar, Phase- 1, Gurgaon पर दिया की असफलता रिपोर्ट।

भाग-1

0522

का कथन:-

श्रमिक के मांग पत्र अनुसार वह संस्था में दिनांक 08.11.2011 को बतौर Tailor के पद पर हुआ था। श्रमिक का मासिक वेतन 5,613/- रू० था। प्रबन्धकों ने कभी भी श्रमिक को समय पर वेतन आवरटाईम नहीं दिया। प्रबन्धकों ने श्रमिक को दिनांक 19.08.2014 को बिना कोई कारण बताये गलत व गैर समय से बिना नोटिस पे व छटनी मुआवजा दिये नौकरी से निकाल दिया। प्रबन्धकों ने श्रमिक की सेवाएं करते समय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एफ की परिपालना नहीं की। श्रमिक की सेवा के उसे पिछले वेतन सहित सेवाएं लगातार मानते हुए नौकरी पर बहाल किया जाए।

प्रबन्धकों का कथन:-

प्रबन्धकों ने अपनी लिखित टिपण्णी में बताया कि उन्होंने श्रमिक को नौकरी से नहीं निकाला। श्रमिक स्वयं दिनांक 19.08.2014 से ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुआ। प्रबन्धक श्रमिक को ड्यूटी पर नहीं लाया। प्रबन्धकों द्वारा दी गई लिखित टिपण्णी साथ संलग्न है। प्रबन्धकों ने श्रमिक द्वारा दिया गया मांग गलत व झूठा बताते हुए रद्द करने की सिफारिश की है।

0/1 सहायक श्रम आयुक्त  
संकेत गुडगाव।